उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
(स्थापना कक्ष)

क्र 1/स्था/अ/(5)/10/ 12008 — 12058 भोपाल दिनांक28/7/2010

प्रति,

समस्त महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र..

विषय:— भूखण्ड/भवन क्रय/निर्माण/वाहन इत्यादि क्रय/विक्रय की अनुमति/सूचना ग्राह्य करने बाबत प्रकरण।

विषयांतर्गत लेख है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी के अनुमति/सूचना ग्राह्य करने के पूर्ण प्रकरण मुख्यालय में निम्नानुसार वांछित दस्तावेज सहित (दो प्रति में) परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित करें —

अ
1. विक्रेता के स्वामित्व के दस्तावेज (भूखंड/भवन कय के प्रकरण में रजिस्ट्री/चल संपत्ति के प्रकरण में केशमेमो/ इनवाइस की छायाप्रति)
2. विक्रेता/क्रेता से क्रय/विकय इकरारनामा
3. विक्रेता/क्रेता से पदीय संव्यवहार न होने संबंधी घोषणापत्र
4. स्वयं, पत्नी एवं बच्चों के नाम भूखण्ड/भवन न होने संबंधी घोषणापत्र
5. क्रय हेतु राशि की व्यवस्था किस प्रकार की जावेगी—राशि का उल्लेख करते हुए निम्न दस्तावेज संलग्न करें:—
   - ए/ बैंक से ऋण लेने पर बैंक का सहमति /स्वीकृति पत्र संलग्न करें
   - बी/ रिश्तेदारों से उधार लेने पर—, रिश्तेदार का नाम ,संबंध, कितनी राशि किस प्रकार (नगद/चेक/ड्राफ्ट) ली जावेगी, एवं किस प्रकार लौटायी जावेगी इकरारनामा संलग्न करें।
   - सी/ बचत राशि हेतु बैंक की पासबुक/एफ.डी./एन.एस.सी. इत्यादि की छायाप्रति

ब बिल्डर से भूखण्ड/भवन क्रय करने की स्थिति में:—
1. आफर लेटर
2. नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग की अनापत्ति
3. नगर निगम का पंजीयन (कालोनी निर्माण की अनुमति)
4. ले—आउट प्लान
5. नगर निगम की अनापत्ति (निर्माण कार्य हेतु)

उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर ही भूखण्ड/भवन क्रय/निर्माण/वाहन इत्यादि क्रय/विक्रय की अनुमति/सूचना ग्राह्य की जावेगी। अपूर्ण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
(स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

उप संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त मध्य प्रदेश

क्र 1/स्था/अ/(5)/10/ 12059 — 12065 भोपाल दिनांक28/7/2010

प्रति,—अपर/संयुक्त संचालक उद्योग—परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय—भोपाल/ इन्दौर/ग्वालियर/ जबलपुर/रीवा/सागर/उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

उप संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त मध्य प्रदेश

permission